# बिहार सरकार
## ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0 / BSPTCL–04 / 2023– / पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु "समाधान यात्रा" के क्रम में बनी सहमति के आलोक में चण्डी (नालंदा) में एक नये 2X50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं अस्थावाँ तथा हरनौत ग्रिड सब–स्टेशन में दो–दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 129.75 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त **Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26** के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 10.20 करोड़ (दस करोड़ बीस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश–स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या–2228 दिनांक–05.06.2023 द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु "समाधान यात्रा" के क्रम में बनी सहमति के आलोक में चण्डी (नालंदा) में एक नये 2X50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132 / 33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं अस्थावाँ तथा हरनौत ग्रिड सब–स्टेशन में दो–दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 129.75 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की नई योजना की स्वीकृति एवं उक्त राशि का 20% अर्थात 25.95 करोड़ (पच्चीस करोड़ पंचानवे लाख) रूपये पूँजीगत निवेश के रूप में इक्विटी स्वरूप एवं शेष 80% अर्थात 103.80 करोड़ (एक सौ तीन करोड़ अस्सी लाख) रूपये राज्य सरकार की गारण्टी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या–3450 दिनांक–19.09.2024 द्वारा 10.00 करोड़ रूपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–412 दिनांक–24.01.2025 द्वारा 10.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 20.00 करोड़ रूपये हिस्सा पूँजी के रूप में एवं विभागीय राज्यादेश संख्या–3823 दिनांक–06.08.2025 द्वारा 19.80 करोड़ रूपये Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 के अंतर्गत बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0 द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 10.20 करोड़ रूपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के द्वारा ऊर्जा प्रक्षेत्र के लिए Scheme for Special Assistance to States for Capital Investment for 2025-26 Under Part-1 के अंतर्गत स्वीकृत राशि 1320.00 करोड़ रूपये में से प्रथम किश्त के रूप में 871.20 करोड़ रूपये एवं द्वितीय किस्त के रूप में शेष राशि 448.80 करोड़ रूपये विमुक्त किया गया है, जिसके अंतर्गत यह योजना भी सम्मिलित है।

3. उक्त आलोक में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 के अंतर्गत संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु ''समाधान यात्रा'' के क्रम में बनी सहमति के आलोक में चण्डी (नालंदा) में एक नये 2X50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन, इससे संबंधित 132 के0वी0 के संचरण लाईनों एवं अस्थावाँ तथा हरनौत ग्रिड सब–स्टेशन में दो–दो लाईन 'बे' के निर्माण हेतु 129.75 करोड़ (एक सौ उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के अतिरिक्त Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2025-26 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गयी राशि में से 10.20 करोड़ (दस करोड़ बीस लाख) रूपये वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्यशीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0105–बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900105 विषय शीर्ष 54.01–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 को Bank of India के खाता संख्या–440010110003892 एवं IFSC Code-BKID0004400 में की जायेगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355 दिनांक–05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–04/2023 के पृष्ठ संख्या–10/टि0 पर दिनांक–30.05.2023 को प्राप्त है।

8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/BSPTCL–04/2023 पृष्ठ संख्या–39/टि0 पर दिनांक–16.01.2026 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
**(सुधा गुप्ता)**
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–प्र0/BSPTCL–04/2023– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
**सरकार के संयुक्त सचिव।**

ज्ञापांक–प्र0 / BSPTCL–04 / 2023– 291 / पटना, दिनांक– 21.01.2026

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कं0 लि0 एवं आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.01.26

सरकार के संयुक्त सचिव।